पुलिस के हाथ-पाव काप गए। अब फंस जाएगा। 'इसके बाद पुलिस बताया कि अब उनके पास कोई

आरोप › **उद्योग लॉबी के दबाव में सरकार ने 60% दावे किए खारिज**

5 लाख परिवारों को नहीं दिया वनाधिकार पट्टा

पत्रिका एक्सक्लूसिव

▪ 5 साल में 75 हजार हेक्टेयर वनभूमि का उद्योगों के लिए हुआ डायवर्जन

शिरीष खरे @ रायपुर.पत्रिका
patrika.com/bureau

वनाधिकार पट्टा देने के मामले में भले ही छत्तीसगढ़ सरकार खुद को देशभर में अव्वल बता रही हो, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। यहां उद्योग लॉबी के दबाव में सरकार ने 60 प्रतिशत वनवासी परिवारों के दावे खारिज कर दिए, जबकि त्रिपुरा और केरल जैसे राज्यों में 34 प्रतिशत दावे ही खारिज हुए हैं।

वनाधिकार कानून के तहत बीते सात सालों का लेखा-जोखा देखें तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने कुल 5 लाख 12 हजार परिवारों के दावे खारिज किए हैं। यह हालत तब है, जब प्रदेश के 44 प्रतिशत भू-भाग पर जंगल है और 60 प्रतिशत इलाका संविधान की पांचवीं अनुसूची में आता है।

इन इलाकों में जनजातियों के हितों में संवैधानिक प्रावधान लागू हैं। दूसरी तरफ, सरकार ने प्रति व्यक्ति औसतन महज 2 एकड़ वनभूमि दी है, जो व्यक्तिगत रूप से काफी कम है। इसके अलावा बिहार के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जो वनाधिकार के सामूहिक दावों का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया है। गौरतलब है कि गुजरात में प्रति गांव औसतन 280, कर्नाटक में 260, महाराष्ट्र में 247 और तेलंगाना में 676 एकड़ वनभूमि बांटी गई है। इसे देखते हुए वनाधिकार पट्टा देने के मामले में छत्तीसगढ़ फिसड्डी नजर आता है। यह खुलासा केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों से हुआ है।

अधिकारों के आड़े आया खनन

सामाजिक संगठनों के मुताबिक सरकार ने वनभूमि के इस्तेमाल के लिए खनन और उद्योगों को वरीयता दी है। ऑक्सफैम इंडिया के प्रतिनिधि विजेंद्र अजनबी कहते हैं, 2005-10 के बीच 75 हजार हेक्टेयर वनभूमि औद्योगिकरण के लिए डाइवर्ट की गई। इसमें 97 प्रतिशत सिर्फ खनन कार्यों के लिए है। वहीं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में 1997 से 2007 के बीच 82 हजार 300 हेक्टेयर वन नष्ट होने की बात कही गई है। जाहिर है खनन के नाम पर न वन बच रहे हैं और न वनवासियों के अधिकार।

चुनाव आने पर सताती है चिंता

आदिवासी कार्यकर्ता इंदु नेताम के मुताबिक राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लोगों से वोट तो ले लेती है, लेकिन जमीन पर उन्हें उनका हक नहीं दिला पाती है। आकड़े बताते है कि 2009 के बाद तीन साल तक पट्टा देने की प्रक्रिया लगभग रोक दी गई। मगर 2013 के चुनाव को देखते हुए महज एक साल में करीब एक लाख पट्टा देने का दावा किया गया। मगर अब यह प्रक्रिया फिर धीमी पड़ गई है।

ऐसी है स्थिति

- प्रदेश में 93 हजार हेक्टेयर में खनन पट्टे दिए गए हैं, जिनमें 80 प्रतिशत भूभाग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है।
- 9727 गांवों की सीमा में दस लाख हेक्टेयर जंगल हैं।
- 12 हजार से ज्यादा गांव वनों पर आश्रित हैं।
- सरकार ने 425 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला है।
- यहां कुल साढ़े सात हजार संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं।
- अचानक मार्ग व बार-नवापारा अभ्यारण्य से विस्थापित कई परिवारों को नहीं मिले पट्टे
- गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया और सीतानदी उदंती टाइगर रिजर्व से भी वनाधिकार होंगे प्रभावित
- बस्तर संभाग के अशांत इलाके से विस्थापित परिवारों के वनाधिकार छूटे।

हो रही है समीक्षा

वनाधिकार मामले में गैर आदिवासियों के मुकाबले आदिवासियों को आसानी से पट्टे मिले हैं। वैसे भी इन्हें शासन की बजाय ग्राम सभा स्तर पर बांटा जाता है। मगर बड़ी संख्या में दावे निरस्त होने के चलते फिर से इनकी समीक्षा हो रही है।

राजेश सुकुमार टोप्पो, संचालक, आदिम जाति व अनुसूचित जाति